55

II/निग०/रीवा/भू०रा०/2017/3045

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर,
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

हरिकेशर सिंह तनय केमलभान सिंह निवासी ग्राम रगौली, राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया, तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

--------आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1— यादवेन्द्र सिंह तनय बुद्धीमान सिंह निवासी ग्राम रगौली, राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया, तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

2— म0प्र0 शासन

----------गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण

आवेदक हरिकेशर सिंह द्वारा स्वतः उपस्थित होकर पेश किया गया। 01-09-17
1-9-17

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 46/अ–12/16–17 आदेश दिनांक 03.07.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :–

1— यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया तथा वाक्यातों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है अर्थात काबिल निरस्तगी है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 3045

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 46 अ 12 / 16–17 में पारित आदेश दिनाक 3–7–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने ग्राम ग्राम रंगोली की भूमि सर्वे कमांक 1161, 1190 के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 46 अ 12 / 16–17 पॅजीबद्व किया तथा हलका पटवारी को सीमांकन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये। हलका पअवार ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की। हलका पटवारी ने दिनांक 20–6–17 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 23–6–17 प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक ने आपत्ति आमंत्रण हेतु समय देते हुये आदेश दिनांक 3–7–17 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व पटवारी ने आवेदक को सूचना दिये बिना अनाववेदक से मिलकर गलत तरीके से सीमांकन किया है एंव मौके की स्थिति के मान से सीमांकन नहीं किया है। अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय	

अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने के वह अधिकारी हैं। यदि अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 3–7–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य